**संख्या- 217 / 2025 / 1027 / चार-2025-1769336**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2025

विषय:- बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 6173 /सं0नि0-6-(53)/2012-13-।।, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा पत्र संख्या- 5988/सं0नि0-6(53)/2012-13-।। दिनांक 22.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -8905- बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ का भवन निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद में **रू0 2,21,50,000 (रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
2. संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
6. संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात् ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -8905- बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ का भवन निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई. संख्या- RE-budget-1-947-E-7-462-X-2024-25-दिनांक:31-03-2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20242025-1027-Reapp BM Kathak

विषय:- बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

*निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण ,*

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 4202048005400 (अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र | 15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र | 8,61,37,000 रुपये आठ करोड़ इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र | 0 शून्य | 15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र | 2024-2025 |
| 092 | 4202048005100 (अयोध्या में विभिन्न कार्य) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 2,21,50,000 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र | 2,78,50,000 रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार मात्र | 2024-2025 |
| **कुल** | | | | | ₹ 13,61,37,000 | ₹ 2,21,50,000 | | |

*निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण*

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 4202048008905 (बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ का भवन निर्माण) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 0 शून्य | 13,61,37,000 रुपये तेरह करोड़ इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र | 2,21,50,000 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र | 2,21,50,000 रुपये दो करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार मात्र | 2024-2025 |
| **कुल** | | | | ₹ 13,61,37,000 | ₹ 2,21,50,000 | | |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-947-E-7-462-X-2024-25-दिनांक:31-03-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in